

उत्तर प्रदेश की जोरिया जाति: एक सामाजिक-ऐतिहासिक एवं दस्तावेजीय अध्ययन

डॉ. नंद कुमार 'जोरिया'

असिस्टेंट प्रोफेसर, रसायन शास्त्र विभाग, शासकीय इंदिरा गाँधी गृह विज्ञान कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
शहडोल (मध्य प्रदेश)

Email – nandiitdchemistry@gmail.com

सारांश: उत्तर प्रदेश की सामाजिक संरचना में जोरिया (Joria/Joriya) समुदाय एक अपेक्षाकृत कम-अध्ययनित समुदाय है, जिसकी ऐतिहासिक उपस्थिति के संकेत औपनिवेशिक जनगणनाओं, जिला गजेटियरों, नृवंशशास्त्रीय साहित्य तथा प्रशासनिक अभिलेखों में प्राप्त होते हैं। 1881 की ब्रिटिश भारतीय जनगणना में "Joriá" को एक पृथक प्रविष्टि के रूप में दर्ज किया गया था। इसमें समुदाय की संख्या 10,923 तथा प्रमुख व्यवसाय "Day labourer, weaver" उल्लिखित है। विलियम क्रूक ने फैजाबाद क्षेत्र के जोरिया समुदाय का उल्लेख करते हुए उनके बुनकरी संबंधी व्यवसाय, अन्य श्रम-आधारित कार्यों तथा जौनपुर से संबंधित एक सामुदायिक उत्पत्ति-परंपरा का विवरण प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार, 1905 के एक अभिलेख में सुल्तानपुर क्षेत्र में भी "Joria" जातीय पहचान का उल्लेख मिलता है।

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य जोरिया समुदाय के ऐतिहासिक विकास, पारंपरिक व्यावसायिक स्वरूप, सामाजिक पहचान तथा समकालीन सामाजिक संदर्भों का विश्लेषण करना है। उत्तर प्रदेश की राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) सूची में जोरिया की प्रविष्टि के साथ-साथ केंद्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में इसकी स्थिति भी अध्ययन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। 2008 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) के समक्ष जोरिया समुदाय को केंद्रीय सूची में शामिल किए जाने का अनुरोध प्रस्तुत किए जाने का अभिलेख मिलता है; किंतु उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर इसके पश्चात् की अंतिम स्थिति अथवा केंद्रीय सूची में इसके समावेशन/अनुपस्थिति के विशिष्ट कारण को निश्चित रूप से स्थापित करना संभव नहीं है। अतः अध्ययन उपलब्ध स्रोतों की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए निष्कर्ष प्रस्तुत करता है तथा जोरिया समुदाय के इतिहास को अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए आगे व्यापक अभिलेखीय एवं क्षेत्रीय शोध की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

मुख्य शब्द: जोरिया, Joria, Joriya, उत्तर प्रदेश, जाति, सामाजिक इतिहास

1. प्रस्तावना

भारतीय समाज के इतिहास में जाति केवल एक सामाजिक श्रेणी के रूप में ही नहीं रही है, बल्कि अनेक संदर्भों में इसका संबंध व्यवसाय, स्थानीयता, सामाजिक संगठन तथा सांस्कृतिक पहचान से भी रहा है। विशेषकर उत्तर भारत में वस्त्र-

निर्माण एवं बुनकरी से संबंधित अनेक जातीय समुदायों का उल्लेख औपनिवेशिक जनगणनाओं तथा नृवंशशास्त्रीय साहित्य में मिलता है। इन समुदायों में जोरिया एक ऐसा समुदाय है, जिसके संबंध में आधुनिक अकादमिक साहित्य अपेक्षाकृत सीमित है।

जोरिया समुदाय का अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उपलब्ध ऐतिहासिक स्रोत इसके संबंध को पूर्वी उत्तर प्रदेश के सामाजिक-आर्थिक जीवन, विशेषकर बुनकरी तथा ग्रामीण श्रम से जोड़ते हैं। दूसरी ओर, वर्तमान प्रशासनिक वर्गीकरण में इसे अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के अंतर्गत एक पृथक सामाजिक समुदाय के रूप में मान्यता प्राप्त है।

उत्तर प्रदेश के U.P. Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994 की अनुसूची-I में Joria को क्रमांक 71 पर दर्ज किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान प्रशासनिक वर्गीकरण में जोरिया को एक पृथक सामाजिक समुदाय के रूप में मान्यता प्राप्त है। [1]

इस अध्ययन का उद्देश्य जोरिया समुदाय की किसी “श्रेष्ठ” अथवा “निम्न” सामाजिक स्थिति का निर्धारण करना नहीं है, बल्कि उपलब्ध ऐतिहासिक स्रोतों के आलोचनात्मक अध्ययन के आधार पर उसके अतीत की एक सावधानीपूर्ण, संतुलित एवं स्रोत-आधारित रूपरेखा प्रस्तुत करना है।

2. ऐतिहासिक स्रोत और पद्धति

जोरिया समुदाय के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए चार प्रकार के स्रोत विशेष रूप से उपयोगी हैं—

- औपनिवेशिक जनगणना-अभिलेख (Census Records)
- नृवंशशास्त्रीय साहित्य, विशेषकर विलियम क्रूक के अध्ययन
- जिला गजेटियर, जैसे जौनपुर और सुल्तानपुर के गजेटियर
- स्थानीय एवं प्रशासनिक अभिलेखीय दस्तावेज़ (Archival Records)

इन स्रोतों की प्रकृति और उपयोगिता अलग-अलग है। जनगणना-अभिलेख मुख्यतः प्रशासनिक वर्गीकरण, जनसंख्या तथा सामाजिक समूहों के वितरण से संबंधित सूचनाएँ प्रदान करते हैं। नृवंशशास्त्रीय साहित्य समुदाय की सामाजिक परंपराओं, उत्पत्ति-परंपराओं, व्यवसाय तथा सामुदायिक पहचान से संबंधित विवरण उपलब्ध कराता है। इसके विपरीत, जिला गजेटियर किसी जिले की व्यापक सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक एवं प्रशासनिक पृष्ठभूमि प्रस्तुत करते हैं, जबकि स्थानीय एवं प्रशासनिक अभिलेख किसी व्यक्ति, परिवार, गाँव अथवा समुदाय से संबंधित विशिष्ट ऐतिहासिक साक्ष्य प्रदान कर सकते हैं।

अतः किसी एक स्रोत को अंतिम अथवा पूर्णतः निर्णायक प्रमाण मानने के बजाय विभिन्न प्रकार के स्रोतों का परस्पर मिलान और आलोचनात्मक परीक्षण करना अधिक उचित है। इस प्रकार, जनगणना, नृवंशशास्त्रीय साहित्य, जिला गजेटियर तथा अभिलेखीय दस्तावेज़ों से प्राप्त सूचनाओं के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर जोरिया समुदाय के इतिहास का अधिक संतुलित और प्रमाण-आधारित पुनर्निर्माण किया जा सकता है।

3. 1881 की जनगणना में जोरिया जाति

जोरिया समुदाय के संबंध में उपलब्ध महत्वपूर्ण प्रारंभिक प्रमाणों में 1881 की Census of British India विशेष रूप से उल्लेखनीय है। Report on the Census of British India taken on the 17th February 1881 में “Joriá” नाम से एक पृथक जातीय प्रविष्टि दर्ज की गई है। इसके अंतर्गत सामान्य व्यवसाय के रूप में “Day labourer, weaver” अंकित है

तथा समुदाय की कुल संख्या 10,923 दर्ज की गई है। इसी सूची में “Juláha” को एक पृथक प्रविष्टि के रूप में दर्ज किया गया है, जिसके सामने व्यवसाय के रूप में “Weaver” उल्लिखित है। [2]

यह तथ्य कई कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला, उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक “Joriá” नाम प्रशासनिक जनगणना-वर्गीकरण में एक पृथक प्रविष्टि के रूप में विद्यमान था। दूसरा, इसके व्यावसायिक स्वरूप में बुनकरी के साथ-साथ दैनिक वेतनभोगी श्रम का भी उल्लेख मिलता है। तीसरा, जनगणना में Joria और Julaha को अलग-अलग प्रविष्टियों के रूप में दर्ज किया गया था।

अतः केवल बुनकरी के समान व्यवसाय के आधार पर Joria और Julaha को एक ही जाति मानना उचित नहीं होगा। इसके विपरीत, उपलब्ध जनगणना-वर्गीकरण यह संकेत करता है कि औपनिवेशिक प्रशासनिक अभिलेखों में दोनों को पृथक सामाजिक समुदायों के रूप में दर्ज किया गया था। इस प्रकार, व्यावसायिक समानता को दोनों की समान जातीय पहचान का निर्णायक प्रमाण नहीं माना जा सकता।

4. विलियम क्रूक और जोरिया समुदाय की ऐतिहासिक परंपरा

जोरिया समुदाय के संबंध में उपलब्ध महत्वपूर्ण नृवंशशास्त्रीय विवरणों में से एक विलियम क्रूक की *The Tribes and Castes of the North-Western Provinces and Oudh* में मिलता है, जिसका प्रकाशन 1896 में हुआ था। क्रूक के विवरण में फैजाबाद क्षेत्र के जोरिया (Joriya) समुदाय का उल्लेख मिलता है। इसमें समुदाय से संबंधित एक उत्पत्ति-परंपरा भी दर्ज की गई है, जिसके अनुसार वे स्वयं को ब्राह्मण मूल से संबद्ध मानते थे तथा जौनपुर ज़िले के कटवी/कटविन नामक स्थान से अपने आगमन की परंपरा का उल्लेख करते थे। [3]

इस विवरण की व्याख्या करते समय इतिहासकार के लिए विशेष सावधानी आवश्यक है। यह समुदाय की स्व-उत्पत्ति संबंधी परंपरा है; अतः इसे आधुनिक ऐतिहासिक दृष्टि से प्रमाणित वंशावली-संबंधी तथ्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। औपनिवेशिक नृवंशशास्त्रियों ने अनेक समुदायों की उत्पत्ति-परंपराओं को दर्ज किया था, जिनमें सामाजिक प्रतिष्ठा, स्थानीय परंपरा तथा सामुदायिक स्मृति के विभिन्न तत्व सम्मिलित हो सकते हैं।

5. पारंपरिक व्यवसाय: रेशम और सूती वस्त्र

जोरिया समुदाय की ऐतिहासिक पहचान का एक प्रमुख पक्ष उसका बुनकरी के व्यवसाय से संबंध है। क्रूक के अनुसार, फैजाबाद क्षेत्र के जोरिया समुदाय के लोग पहले रेशम बुनने का कार्य करते थे और बाद में सूती वस्त्रों के निर्माण से जुड़े। स्रोत में समुदाय के कुछ सदस्यों द्वारा राजमिस्त्री का कार्य किए जाने का भी उल्लेख मिलता है। [3]

यह विवरण 1881 की जनगणना में दर्ज “day labourer, weaver” संबंधी प्रविष्टि के साथ पढ़े जाने पर अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। दोनों स्रोतों को साथ देखने पर यह संकेत मिलता है कि जोरिया समुदाय की आर्थिक पहचान ऐतिहासिक रूप से बुनकरी से जुड़ी रही, किंतु समुदाय के सभी सदस्य केवल एक ही व्यवसाय तक सीमित नहीं थे। इस प्रकार, जोरिया समुदाय के पारंपरिक व्यावसायिक स्वरूप को मोटे तौर पर इस प्रकार समझा जा सकता है:

रेशमी वस्त्र-निर्माण → सूती वस्त्र-निर्माण → बुनकरी के साथ राजमिस्त्री एवं अन्य ग्रामीण व्यवसाय
हालाँकि, यह मानना उचित नहीं होगा कि यह व्यावसायिक क्रम सभी जोरिया परिवारों पर समान रूप से लागू था। स्थानीय अर्थव्यवस्था, बाज़ार की परिस्थितियों, कृषि-व्यवस्था तथा औद्योगिक परिवर्तनों के प्रभाव से समुदाय के विभिन्न परिवारों के व्यवसायों में स्वाभाविक रूप से भिन्नता रही होगी।

6. जौनपुर और जोरिया समुदाय

जौनपुर इस अध्ययन में विशेष महत्व रखता है। H. R. Nevill द्वारा तैयार *Jaunpur: A Gazetteer 1908 में District Gazetteers of the United Provinces of Agra and Oudh* की Volume XXVIII के रूप में प्रकाशित हुआ था। [4]

जिला गजेटियर जौनपुर की भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या, कृषि, उद्योग, सामाजिक समूहों तथा आर्थिक गतिविधियों का प्रशासनिक विवरण प्रस्तुत करता है। इस काल में जौनपुर क्षेत्र की सामाजिक-आर्थिक संरचना में वस्त्र-निर्माण और बुनकरी महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियों में सम्मिलित थीं।

हालाँकि, यह सावधानी आवश्यक है कि नेविल के गजेटियर को जोरिया समुदाय की उत्पत्ति के प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए। जोरिया की उत्पत्ति-परंपरा तथा रेशम और सूती वस्त्र-बुनाई से संबंधित अधिक विशिष्ट विवरण क्रूक के नृवंशशास्त्रीय अध्ययन से प्राप्त होते हैं। इस प्रकार, दोनों स्रोतों की भूमिकाएँ अलग-अलग हैं:

नेविल → जौनपुर का जिला-स्तरीय ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

क्रूक → जोरिया समुदाय का विशिष्ट नृवंशशास्त्रीय विवरण

इन दोनों स्रोतों को समग्र रूप से देखने पर जौनपुर-फ़ैज़ाबाद क्षेत्र और जोरिया समुदाय के बीच संभावित ऐतिहासिक संबंधों का अध्ययन अधिक सुसंगत एवं सार्थक ढंग से किया जा सकता है।

7. सुल्तानपुर में जोरिया जाति की ऐतिहासिक उपस्थिति

सुल्तानपुर क्षेत्र में जोरिया समुदाय की ऐतिहासिक उपस्थिति के संदर्भ में वर्ष 1905 का एक महत्वपूर्ण अभिलेखीय साक्ष्य एक भारतीय गिरमिटिया श्रमिक (*indentured labourer*) के रिकॉर्ड से प्राप्त होता है। University of KwaZulu-Natal, South Africa के Documentation Centre में संरक्षित *Shipslist* (Indenture Nos. 114001-116000) में उस अवधि के भारतीय गिरमिटिया श्रमिकों के अभिलेख दर्ज हैं, जिनमें उनकी जातीय-सामाजिक पहचान तथा अन्य व्यक्तिगत एवं भौगोलिक विवरण भी अंकित हैं। इसी सूची में Indenture No. 114063 के अंतर्गत Madho (माधो) का विवरण दर्ज है। अभिलेख के अनुसार उसके पिता का नाम Suchcha (सुच्चा), आयु 28 वर्ष, जाति Joria (जोरिया), जिला Sultanpur (सुल्तानपुर), थाना Raipore (रायपुर) तथा गाँव Sitarampur (सीतारामपुर) है। उसके आप्रवासन का समय जून 1905 दर्ज है तथा *Arrival/Ship/Port of Departure* के अंतर्गत June 1905 – Congella XLV – Calcutta का उल्लेख मिलता है। [5]

यह अभिलेख औपनिवेशिक काल की गिरमिटिया श्रम-व्यवस्था के व्यापक संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय श्रमिक निश्चित अवधि के श्रम-अनुबंध पर दक्षिण अफ्रीका सहित विभिन्न ब्रिटिश उपनिवेशों में भेजे जाते थे और वहाँ मुख्यतः कृषि, विशेषकर गन्ने के बागानों तथा अन्य औपनिवेशिक आर्थिक गतिविधियों में नियोजित किए जाते थे। [6] इस व्यापक प्रवासन प्रक्रिया के संदर्भ में माधो का अभिलेख स्थानीय सामाजिक इतिहास को औपनिवेशिक श्रम-प्रवासन के इतिहास से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण प्राथमिक स्रोत है।

माधो का रिकॉर्ड विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि इसमें “Joria” को स्पष्ट रूप से जाति (Caste) के रूप में दर्ज किया गया है तथा उसके साथ सुल्तानपुर जिले, रायपुर थाना और सीतारामपुर गाँव का विशिष्ट भौगोलिक विवरण भी उपलब्ध है। इसलिए यह दस्तावेज़ किसी व्यापक नृवंशशास्त्रीय सामान्यीकरण के बजाय एक प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अभिलेखीय प्रमाण प्रस्तुत करता है। इससे सुरक्षित रूप से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में सुल्तानपुर

जिले से संबंधित एक व्यक्ति की जातीय पहचान "Joria" के रूप में अभिलेखित थी, जो इस क्षेत्र में जोरिया समुदाय की ऐतिहासिक उपस्थिति के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण प्रमाण प्रदान करता है।

हालाँकि, इस अभिलेख की व्याख्या करते समय तत्कालीन और वर्तमान प्रशासनिक सीमाओं के अंतर को ध्यान में रखना आवश्यक है। वर्तमान अमेठी जिले का गठन 1 जुलाई 2010 को हुआ था [7]। अतः ऐतिहासिक अभिलेखों में उल्लिखित "Sultanpur" की प्रशासनिक सीमा को वर्तमान सुल्तानपुर जिले की सीमा के समान नहीं माना जा सकता। इसलिए पुराने अभिलेखों अथवा जनगणना संबंधी स्रोतों में प्रयुक्त "Sultanpur" को उस समय की प्रशासनिक सीमा के संदर्भ में ही समझना आवश्यक है। यह सावधानी ऐतिहासिक अभिलेखों के आधार पर जोरिया समुदाय की भौगोलिक एवं सामाजिक उपस्थिति का पुनर्निर्माण करते समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

8. जौनपुर-फ़ैज़ाबाद-सुल्तानपुर क्षेत्र: एक ऐतिहासिक संपर्क क्षेत्र

उपलब्ध स्रोतों को समग्र रूप से देखने पर पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक व्यापक भौगोलिक क्षेत्र सामने आता है, जिसमें जौनपुर, सुल्तानपुर तथा फ़ैज़ाबाद/अवध शामिल हैं। क्रूक के विवरण में जोरिया समुदाय से संबंधित जौनपुर-फ़ैज़ाबाद क्षेत्र की उत्पत्ति-परंपरा का उल्लेख मिलता है, जबकि 1905 के अभिलेखीय दस्तावेज़ में सुल्तानपुर ज़िले में जोरिया समुदाय के एक व्यक्ति का उल्लेख मिलता है। ये साक्ष्य इस व्यापक क्षेत्र में समुदाय की ऐतिहासिक उपस्थिति की ओर संकेत करते हैं।

हालाँकि, इन साक्ष्यों के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि इस क्षेत्र के सभी जोरिया परिवार एक ही मूल वंश से संबंधित थे। प्रवासन, वैवाहिक संबंध-संजाल, व्यावसायिक गतिशीलता तथा स्थानीय सामाजिक संगठन ने विभिन्न क्षेत्रों में समुदाय की अलग-अलग शाखाओं के विकास में भूमिका निभाई हो सकती है।

9. जोरिया, कोरी और जुलाहा: समानताएँ एवं भिन्नताएँ

जोरिया समुदाय के इतिहास के अध्ययन में कोरी और जुलाहा समुदायों से तुलना स्वाभाविक है, क्योंकि ऐतिहासिक साहित्य में तीनों का संबंध बुनकरी के व्यवसाय से दिखाई देता है। 1881 की जनगणना में जोरिया और जुलाहा को अलग-अलग प्रविष्टियों के रूप में दर्ज किया गया है। [2] इसलिए यह कहना उचित नहीं होगा कि जोरिया केवल जुलाहा का दूसरा नाम था। इसी प्रकार, केवल व्यावसायिक समानता के आधार पर कोरी को भी जोरिया का समानार्थी नहीं माना जा सकता। यहाँ जाति और व्यवसाय के बीच अंतर महत्वपूर्ण है। एक ही व्यवसाय को अनेक भिन्न जातीय समुदाय अपना सकते हैं। उत्तर भारत में बुनकरी इसका एक स्पष्ट उदाहरण है।

अतः वर्तमान उपलब्ध स्रोतों के आधार पर सबसे सावधान निष्कर्ष यह है कि जोरिया एक पृथक सामाजिक समुदाय के रूप में औपनिवेशिक प्रशासनिक एवं नृवंशशास्त्रीय अभिलेखों में दर्ज है, जिसकी ऐतिहासिक आर्थिक पहचान बुनकरी के व्यवसाय से विशेष रूप से जुड़ी रही है।

10. जोरिया समुदाय की धार्मिक एवं सामाजिक परंपराएँ

क्रूक के नृवंशशास्त्रीय विवरण में जोरिया समुदाय के धार्मिक जीवन के संदर्भ में महावीर तथा भगवती की पूजा का उल्लेख मिलता है। [3]

हालाँकि, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यह उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध का नृवंशशास्त्रीय विवरण है। अतः इसे वर्तमान समय के सभी जोरिया परिवारों की धार्मिक पहचान का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि नहीं माना जा सकता। ऐतिहासिक

समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से ऐसे विवरणों का महत्व इस तथ्य में निहित है कि वे किसी विशिष्ट कालखंड में समुदाय के संबंध में प्रचलित सामाजिक स्मृतियों तथा नृवंशशास्त्रीय अवलोकनों को अभिलेखित करते हैं।

11. स्वतंत्रता आंदोलन और जोरिया समुदाय

जोरिया समुदाय के इतिहास का एक महत्वपूर्ण, किंतु अभी तक अपर्याप्त रूप से शोधित पक्ष भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उसकी भूमिका है। उपलब्ध प्रमुख स्रोतों—1881 की जनगणना, क्रूक के नृवंशशास्त्रीय विवरण तथा प्रारंभिक जिला गजेटियरों—में जोरिया समुदाय को 1857 के विद्रोह अथवा उसके बाद के राष्ट्रीय आंदोलन में एक प्रमुख संगठित राजनीतिक समूह के रूप में प्रस्तुत करने वाला कोई प्रमाणित विवरण नहीं मिलता। तथापि, इसका अर्थ यह नहीं है कि जोरिया समुदाय के किसी व्यक्ति ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग नहीं लिया होगा। ग्रामीण एवं स्थानीय आंदोलनों में भाग लेने वाले अनेक सामान्य व्यक्तियों की जातीय पहचान औपनिवेशिक राजनीतिक अभिलेखों में दर्ज नहीं की गई थी। अतः वर्तमान उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर इस विषय में न तो जोरिया समुदाय के योगदान का निश्चित दावा करना उचित है और न ही उसके योगदान के अभाव का निष्कर्ष निकालना।

इस क्षेत्र में भविष्य के शोध के लिए सुल्तानपुर, जौनपुर और फैजाबाद से संबंधित 1857 के अभिलेख, जेल रजिस्टर, कांग्रेस के अभिलेख, स्थानीय समाचार-पत्र, स्वतंत्रता सेनानी पेंशन संबंधी अभिलेख तथा ग्राम-स्तरीय अभिलेखीय दस्तावेज उपयोगी हो सकते हैं।

12. आधुनिक प्रशासनिक स्थिति

ऐतिहासिक विवरणों के साथ आधुनिक प्रशासनिक स्थिति को अलग से देखना आवश्यक है। उत्तर प्रदेश के Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994 की Schedule-I में Joria को क्रमांक 71 पर सूचीबद्ध किया गया है। जोरिया समुदाय की समकालीन सामाजिक चिंताओं में Central OBC List का प्रश्न विशेष महत्व रखता है। National Commission for Backward Classes (NCBC) की आधिकारिक Central List में उत्तर प्रदेश के लिए अनेक जातियों और समुदायों की प्रविष्टियाँ उपलब्ध हैं; उपलब्ध सूची में “Joria” नाम की स्वतंत्र प्रविष्टि दिखाई नहीं देती।

लेकिन इस विषय का सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज NCBC का Advice No. 95/Uttar Pradesh/2008 है। इस दस्तावेज में Central List of Other Backward Classes में शामिल किए जाने के अनुरोध वाली जातियों/समुदायों की सूची में Joria को क्रमांक 3 पर स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया था। NCBC की उत्तर प्रदेश पीठ ने 17 जून 2008 को लखनऊ में इन अनुरोधों के संबंध में सार्वजनिक सुनवाई भी आयोजित की थी। [8]

यह तथ्य दर्शाता है कि केंद्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) सूची में जोरिया समुदाय को शामिल किए जाने का प्रश्न औपचारिक रूप से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) के समक्ष उठाया गया था। किंतु उपलब्ध 2008 के दस्तावेज के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा कि जोरिया समुदाय को केंद्रीय सूची में शामिल न किए जाने के पीछे कौन-सा विशिष्ट कारण था। उपलब्ध सामग्री के आधार पर यह निश्चित रूप से कहना कि “NCBC ने जोरिया समुदाय को सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़ा नहीं माना”, प्रमाण से परे होगा।

NCBC के अभिलेख यह भी दर्शाते हैं कि उत्तर प्रदेश की केंद्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में विभिन्न वर्षों में संशोधन होते रहे हैं। 1993 के मूल विनिर्देशन के पश्चात् 2001, 2003, 2004, 2006 और 2011 सहित विभिन्न वर्षों में संशोधन एवं समावेशन संबंधी अधिसूचनाएँ जारी की गईं।

अतः 2008 के जोरिया प्रकरण के पश्चात् जारी संबंधित राजपत्र अधिसूचनाओं तथा NCBC की कार्यवाहियों का क्रमिक एवं दस्तावेज़-आधारित अध्ययन इस विषय पर भविष्य के शोध के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

13. भविष्य के शोध की संभावनाएँ

जोरिया समुदाय पर आगे निम्न क्षेत्रों में व्यवस्थित शोध किया जा सकता है—

1. 1881 से स्वतंत्रता-पूर्व काल की जनगणनाओं तक जोरिया समुदाय की जनसंख्या तथा उसके भौगोलिक वितरण का अध्ययन।
2. जौनपुर-फैजाबाद-सुल्तानपुर क्षेत्र में जोरिया समुदाय की ऐतिहासिक बसावट का मानचित्रण।
3. पारंपरिक बुनाई, रेशम तथा सूती वस्त्र-निर्माण में जोरिया समुदाय के आर्थिक इतिहास का अध्ययन।
4. 2008 के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) से संबंधित प्रकरण के पश्चात् केंद्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) सूची से संबंधित सभी परामर्शों, कार्यवाहियों तथा राजपत्र अधिसूचनाओं का दस्तावेज़ी अध्ययन।
5. जोरिया समुदाय की शिक्षा, रोजगार तथा सामाजिक गतिशीलता का क्षेत्रीय सर्वेक्षण।
6. जोरिया समुदाय की मौखिक परंपराओं, लोक-स्मृतियों तथा प्रमुख सामाजिक व्यक्तित्वों का दस्तावेजीकरण।
7. स्वतंत्रता आंदोलन तथा स्थानीय राजनीतिक-सामाजिक आंदोलनों में समुदाय की संभावित भूमिका का अभिलेखीय अध्ययन।

14. निष्कर्ष

उपलब्ध ऐतिहासिक स्रोतों का आलोचनात्मक अध्ययन करने पर जोरिया समुदाय के संबंध में निम्न प्रमुख निष्कर्ष सामने आते हैं।

पहला, 1881 Census में Joriá एक पृथक जातीय entry के रूप में दर्ज है और उसके साथ व्यावसायिक विवरण “day labourer, weaver” दिया गया है। यह उन्नीसवीं शताब्दी में समुदाय की बुनकरी एवं श्रम से जुड़ी आर्थिक पहचान का महत्वपूर्ण प्रमाण है।

दूसरा, विलियम क्रूक के नृवंशशास्त्रीय विवरण में फैजाबाद क्षेत्र के जोरिया समुदाय से संबंधित ऐसी उत्पत्ति-परंपरा दर्ज है, जो उन्हें जौनपुर के कटवी/कटविन क्षेत्र से जोड़ती है। इसी स्रोत में उनके रेशम तथा बाद में सूती वस्त्र-बुनाई से जुड़े होने का भी उल्लेख मिलता है।

तीसरा, 1905 के सुल्तानपुर के अभिलेखीय दस्तावेज़ में जोरिया जाति से संबंधित एक व्यक्ति का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। इससे बीसवीं शताब्दी के आरंभिक चरण में सुल्तानपुर क्षेत्र में जोरिया समुदाय की उपस्थिति का प्रत्यक्ष अभिलेखीय प्रमाण प्राप्त होता है।

चौथा, उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जोरिया और कोरी अथवा जोरिया और जुलाहा को एक ही जाति मानना उचित नहीं है। समान व्यावसायिक पृष्ठभूमि को समान जातीय पहचान का प्रमाण नहीं माना जा सकता।

पाँचवाँ, जोरिया समुदाय की कथित ब्राह्मण-मूल संबंधी उत्पत्ति-परंपरा को सामुदायिक स्मृति के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि अतिरिक्त प्रमाण के अभाव में इसे ऐतिहासिक वंशावली के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए।

अंततः, जोरिया समुदाय का इतिहास केवल एक जातीय समूह के इतिहास तक सीमित नहीं है। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश की पारंपरिक वस्त्र-अर्थव्यवस्था, ग्रामीण श्रम, व्यावसायिक गतिशीलता तथा जाति-आधारित सामाजिक संगठन के इतिहास को समझने का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम है।

जोरिया समुदाय पर अभी व्यापक एवं विस्तृत क्षेत्रीय अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है। विशेष रूप से जौनपुर, सुल्तानपुर और वर्तमान अमेठी क्षेत्र से संबंधित पुराने बंदोबस्त प्रतिवेदनों, 1891 एवं 1901 की जनगणना अनुसूचियों, ग्राम-स्तरीय अभिलेखों, स्थानीय समाचार-पत्रों तथा मौखिक इतिहासों का अध्ययन इस समुदाय के इतिहास को अधिक सुस्पष्ट कर सकता है। इस प्रकार, उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्यों और समकालीन क्षेत्रीय अनुसंधान के संयोजन से जोरिया समुदाय का अधिक संतुलित एवं प्रमाण-आधारित सामाजिक इतिहास लिखा जा सकता है।

संदर्भ-सूची (References)

- 1) Government of Uttar Pradesh. The Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994, Schedule-I, Entry No. 71, "Joria".
- 2) Plowden, W. C. (1883). Report on the Census of British India, taken on the 17th February 1881. London: Eyre and Spottiswoode, page no. 305.
- 3) Crooke, William. (1896). The Tribes and Castes of the North-Western Provinces and Oudh. Vol. III. Calcutta: Office of the Superintendent of Government Printing, India. Page No. 317
- 4) Nevill, H. R. (1908). Jaunpur: A Gazetteer. District Gazetteers of the United Provinces of Agra and Oudh, Vol. XXVIII. Allahabad: Government Press.
- 5) University of KwaZulu-Natal, Documentation Centre. Shipslist Details, Indenture No. 114063: Madho, son of Suchcha; Caste: Joria; Zillah: Sultanpur; Thanna: Raipore; Village: Sitarampur; June 1905.
- 6) Desai A, Vahed G. (2010) *Inside Indian Indenture: A South African Story, 1860–1914*. Cape Town: HSRC Press.
- 7) <https://amethi.nic.in/history/>
- 8) National Commission for Backward Classes (NCBC). (2008). Advice No. 95/Uttar Pradesh/2008. Request concerning inclusion of Joria and other communities in the Central List of Other Backward Classes for Uttar Pradesh.